BA Part II (H)

Paper III

Dr. Chiranjeev Kr. Thakur
Assistant Professor (GT)
Department of Sociology
VST College Rajnagar

Lecture IV

जाति व्यवस्था (गोविंद सदाशिव घुर्ये) ⇒ घुर्ये ने जाति की व्यापक परिभाषा को स्वीकार करते हुए इसमें 6 प्रमुख विशेषताओं को सम्मिलित किया है -

1. समाज का खंडात्मक विभाजन - जाति व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण हिंदू समाज को खण्डों में विभक्त किया जाता। प्रत्येक जाति का अपना जीवन होता है, जिसकी सदस्यता जन्म द्वारा निर्धारित होती है इसमें किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति क्षत्रिय जाति में पैदा हो जाता है वह आजीवन क्षत्रिय ही होगा।

2. संस्तरण विभाजन : जातिगत समाज के विभाजन में संस्तरण कठोर रूप में पाया जाता है। प्रत्येक जाति दूसरी जाति से उच्च या निम्न होती हैं। कोई भी दो जातियां समान स्थिति को प्राप्त नहीं करती है। संस्तरण में सबसे सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण का है।

3. खान-पान एवं सामाजिक अंतर्क्रिया पर प्रतिबंध - जाति व्यवस्था के अंतर्गत किस जाति, उपजाति के सदस्य से किस प्रकार का भोजन स्वीकार किया जा सकता

2020-7-16 15:22

है या नहीं किया जा सकता है, जिसमें सामाजिक प्रक्रिया किस रूप में कैसे और कितनी स्थापित की जाएगी, इससे संबंधित विस्तृत नियम निर्धारित कर दिए गए हैं।

4. विभिन्न जातियों की नागरिक एवं धार्मिक असमताएं एवं विशेषाधिकार ⇒ जाति व्यवस्था के अन्तर्गत समाज के खण्डात्मक विभाजन एवं संस्तरण के फलस्वरूप कुछ जातियों को विशेषाधिकार दिया गया और निम्न जातियों को इससे वंचित किया गया।

5. व्यवसाय के चयन में प्रतिबंध ⇒ प्रत्येक जाति का व्यवसाय निश्चित होता है, जो वंशानुक्रम पर आधारित होता है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसे कुछ विशेष जाति समूह के लोग ही अपनाते हैं।

6. विवाह पर प्रतिबंध ⇒ प्रत्येक जाति को अपनी जाति, उप-जाति में विवाह करने की अनुमति प्राप्त है जिसे हम अंतर्विवाह कहते हैं। अंतर्विवाह न करने पर व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। दुर्खीम का मानना है, कि अंतर्विवाह जाति व्यवस्था की कुंजी है।

2020-7-16 15:22